गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2024) के अवसर पर
श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय राज्यपाल, बिहार का अभिभाषण
स्थल–गाँधी मैदान, पटना

मेरे प्रिय बिहारवासियों,

राष्ट्र आज 75वाँ गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आप सबको एवं समस्त बिहारवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

75 वर्ष पूर्व देश में गौरवशाली संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा विचार–अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

हम सब के लिए खुशी की बात है कि जननायक स्व० कर्पूरी ठाकुर जी को केन्द्र सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। स्व० कर्पूरी जी का जीवन गरीब, शोषित, वंचित एवं पीड़ित लोगों के लिए समर्पित था। उन्हें भारत रत्न देने से हम सब का गौरव बढ़ा है। इसके लिए मैं समस्त बिहारवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।

आज का दिन हम बिहारवासियों के लिए और भी विशेष अनुभूति का दिन है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र यहीं पर बिहार के वैशाली में ही स्थापित हुआ। हमें इस पर गर्व है कि हम विश्व को लोकतंत्र का मार्ग दिखा सके।

राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विकास के लिए संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। हर थाने में दो भागों में काम हो रहा है, पहला केसों की जाँच एवं दूसरा विधि–व्यवस्था संधारण। इसके लिए पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग–अलग जिम्मेवारी दी गयी है, ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। इसे और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे– अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए पिछले वर्ष इमरजेंसी सेवा ''डायल–112'' शुरू की गयी थी। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए इस सेवा का और विस्तार किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किये गये। हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली–नाली, शौचालय तथा टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम छूटे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। हर घर नल का जल के काम को दो हिस्सों में कराया गया। जो वार्ड आयरन, आर्सेनिक तथा

फ्लोराईड से गुणवत्ता प्रभावित थे उनका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा अन्य वार्डों का काम पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा कराया गया। अब ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में हर घर नल का जल के मेन्टेनेंस एवं छूटे हुये वार्डों का पूरा काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

विकसित बिहार के सात निश्चय–2 के तहत अनेक योजनाओं पर काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। हर वार्ड में औसतन 10–10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जा रही है। आवश्यकता होने पर कई वार्डों में 10 से अधिक सोलर लाईट लगाने का निर्णय भी लिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाईट से गाँव में रातभर रोशनी मिलती रहेगी। अबतक 92 हजार 229 सोलर स्ट्रीट लाईट लगायी गयी है। कई वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट का काम पूरा हो गया है और इस वर्ष तक सभी वार्डों में यह काम पूरा करा लिये जाने की उम्मीद है।

गाँवों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को बेहतर बनाकर वर्ष 2021 से टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है। टेलीमेडिसिन के लिए 9 हजार 359 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील किया गया है। अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोगों को चिकित्सा परामर्श दिया गया है। हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजनाओं पर काम चल रहा है, इनमें से कई योजनायें पूरी हो चुकी हैं।

वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाये गये, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूँ एवं मकई की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गयी है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुयी है। मछली का उत्पादन ढाई गुना से अधिक हो गया है जिससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1 लाख 62 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से 18 अक्टूबर, 2023 को चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगाजल आपूर्ति के तहत जल संकट वाले क्षेत्रों यथा–गया, बोधगया एवं राजगीर शहरों में पिछले वर्ष गंगाजल उपलब्ध करा दिया गया है और इस वर्ष नवादा शहर में भी गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है।

राज्य में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इस पर आवश्यकतानुसार तेजी से कार्य जारी है। साथ ही सुगम यातायात हेतु पटना सहित अन्य जिलों में फ्लाई ओवर एवं ऐलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। अब राज्य में सभी सड़कों, पुल–पुलियों तथा भवनों के मेंटेनेंस पर जोर दिया जा रहा है जिसे विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गईं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों के लगभग बराबर पहुँच गयी है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं, इसके लिए 2 हजार 768 स्कूलों में नये विद्यालय भवन एवं 3 हजार 530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7 हजार 530 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है, जिस पर तेजी से काम जारी है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2 लाख 20 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली की गयी है। इससे बिहार का शिक्षक– छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुँच गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। सरकार द्वारा इन्हें सरकारी शिक्षक बनाने के लिए ''विशेष नियमावली'' बनायी गयी है जिसके अनुसार नियोजित शिक्षकों की एक अलग से परीक्षा ली जायेगी जिसमें उन्हें सरकारी कर्मी बनने का मौका दिया जायेगा।

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलम्ब से चल रहे सत्रों एवं लंबित परीक्षाफलों को नियमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों को लागू कर उनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इसमें सफलता भी मिल रही है।

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। महिलाओं को पुलिस एवं सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह काफी कम हुआ करते थे। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिसे ''जीविका'' नाम दिया गया। जीविका के तहत 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिससे 1 करोड़ 30 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ चुकी हैं। इनमें से अधिकांश महिलायें गरीब परिवारों की हैं। अभी तक जीविका का काम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा और ये महिलायें भी जीविका दीदियाँ कहलायेंगी।

सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण कल्याण के लिए एवं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। इन वर्गों के युवाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की 10 हजार रुपये से शुरूआत की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। मदरसा के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन को बढ़ाकर अन्य स्कूलों के तर्ज पर ही किया गया है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी है जिसमें राज्य के मिली–जुली आबादी वाले एवं संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। राज्य में 9 हजार 273 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया है जिसमें से 8 हजार 519 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गयी है, 311 पर कार्य जारी है तथा 443 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की चहारदीवारी करायी जा रही है जिससे मंदिरों में यदा–कदा मूर्ति चोरी एवं साम्प्रदायिक घटनाओं से बचा जा सके। आगे चलकर आवश्यकतानुसार 60 वर्ष से कम पुराने मंदिरों की भी चहारदीवारी करायी जाएगी।

राज्य सरकार सभी धर्मों हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया है। विभिन्न धर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं मेलों का भी आयोजन किया जाता है। राजगीर में हर तीसरे वर्ष मलमास मेले का आयोजन किया जाता रहा है जिसमें 50–60 लाख लोग आते थे। इस वर्ष बेहतर व्यवस्थाओं के चलते मलमास मेले में लगभग 3 करोड़ लोग आये। गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं। पिछले वर्ष विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गू नदी में साल भर जल की उपलब्धता के लिए ''गया जी रबर डैम'' तथा विष्णुपद मंदिर से सीताकुण्ड जाने के लिए सीता पुल का निर्माण भी कराया गया। पितृपक्ष मेले की अच्छी व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं की संख्या में हर वर्ष तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गयाजी क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं पिंडदानियों के रहने के लिए 120 करोड़ रूपये की लागत से एक धर्मशाला का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। विष्णुपद मंदिर परिसर के उन्नयन एवं श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए लगभग 90 करोड़ रूपये की नयी योजना स्वीकृत की गयी है। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की पावन जन्मभूमि पुनौराधाम में मंदिर का विकास किया गया है। हाल ही में माता सीता मंदिर के समेकित विकास हेतु 72 करोड़ रुपये की नयी योजना स्वीकृत की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े स्थलों यथा– खानकाह मुजीबिया, खानकाह मुनीमिया, मित्तन घाट एवं मनेर शरीफ में जीर्णोद्धार के साथ पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है। हर वर्ष पटना साहिब गुरूद्वारा में गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज तथा राजगीर के शीतल कुण्ड गुरूद्वारा में गुरू नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व का आयोजन किया जाता है। जमुई के लछुआर में भगवान महावीर मंदिर के विकास में सहयोग किया गया है तथा कुण्डलपुर महोत्सव एवं वैशाली महोत्सव का भी नियमित आयोजन कराया जाता है। बोधगया की पावन धरती ज्ञान की भूमि है जहाँ हर वर्ष देश–विदेश के लाखों बौद्ध अनुयायी आते हैं। बोधगया में विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कराया गया है तथा फाइव स्टार होटल के स्तर का विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण पूरा होने वाला है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्तूप का निर्माण भी अंतिम चरण में है।

सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा–से–ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2020 में सात निश्चय–2 के अंतर्गत घोषणा की गयी थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। इसके तहत अबतक 3 लाख 63 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गयी है, इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिस कर्मी एवं पदाधिकारी बने हैं। वर्तमान में 1 लाख 27 हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि एवं राजस्व तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया गया है जिन पर नियुक्ति की जायेगी। इसके अलावे 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस काम में लगी हुयी है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करायी है और इसके आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है, जिसमें 53 लाख 72 हजार 22 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की 27.12 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा की 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति की 1.68 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग की 15.52 प्रतिशत आबादी है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए कानून पारित हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए पूर्व से ही 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। सभी को मिलाकर कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार ने आरक्षण के नये कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली गयी है। इसमें गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पायी गयी है जिसमें सभी वर्गों यथा– सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए ''मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना'' शुरू की गयी है जिसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। जिन परिवारों के पास आवास/घर नहीं है उन्हें जमीन खरीदने हेतु निर्धारित राशि को 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जायेंगे। वर्ष 2018 से ''सतत जीविकोपार्जन योजना'' के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही सहायता राशि 1 लाख रूपये को बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया गया है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये लगेंगे, जिसे अगले 5 सालों में पूरा कर लिया जायेगा।

सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे। हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइये, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः सबको अपनी शुभकामनायें देता हूँ।

जय हिन्द।

***